

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- हिम्मत सिंह

वाद सं. 142/2013

उनवान

प्रभात यादव पुत्र स्व० श्री रूगनाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तह.
चोमू जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व. श्री रूगनाथ
2. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री रूगनाथ
3. हनुमान पुत्र स्व. श्री रूगनाथ
4. कमलेश पुत्र स्व. श्री रूगनाथ
5. गलकू देवी बेवा सुन्दर
6. हरिनारायण पुत्र सुन्दर
7. जीवणराम पुत्र सुन्दर
8. कानाराम पुत्र लादू
9. बल्लूराम पुत्र लादू
10. सुरजमल पुत्र गणेश
11. देवाराम पुत्र गणेश
12. पांचूराम पुत्र गणेश
13. मोहन लाल पुत्र गणेश
14. श्योनारायण पुत्र भैरूराम

जाति समस्त अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तह. चोमू जिला जयपुर।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चोमू तहसील चोमू जिला जयपुर।
16. उप पंजियक चोमू तहसील चोमू जिला जयपुर।
17. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) ज.वि.
वि.नि.लि. गोविन्दगढ, तह. चोमू जिला जयपुर।
18. एस.बी.बी.जे.बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तह. चोमू जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:- 14.10.2019

वर्तमान उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 09.06.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चोमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चोमू से कुरेजात

प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील ~~चाही~~ की बहस सुनी गई। वकील ~~चाही~~ ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील पक्षकार को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावों को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।


अतः तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाते हैं तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- यह की विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 कुल कित्ता 24 का कुल रकबा 13.83 वाके ग्राम बावडी गोपीनाथ, पटवार हल्का मण्डा भिण्डा, भू, अभिलेख क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. प्रभात पुत्र रूगनाथ जाति अहीर राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा कालाडेरा को ख.न. 805/2 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.न. 822/2 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.न. 826/2 रकबा 0.16 हैक्ट., कुल कित्ता 3 का कुल रकबा 0.52 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शों में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. कमलेश पुत्र रूगनाथ हि. 1/25 काना पु. लादू हि. 1/10 बिला रहन गल्कू पत्नी सुन्दरराम हि. 1/15 जीवणराम पु. सुन्दरराम हि. 1/15 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा चौमू गोपाल पुत्र रूगनाथ हि. 1/25 राहिन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू देवाराम पुत्र गणेश हि. 1/20 पांचूराम पुत्र गणेश हि. 1/20 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू प्रभात पुत्र रूगनाथ हि. 1/25 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा कालाडेरा बल्लूराम पुत्र लादू हि. 1/10 मोहन पुत्र गणेश हि. 1/20 श्योनारायण पुत्र भैरू हि. 1/5 सूरजमल पुत्र गणेश हि. 1/20 राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा रामेश्वर पुत्र रूगनाथ हि. 1/25 हनुमान पुत्र रूगनाथ हि. 1/25 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा जाति अहीर सा. देह खातेदार ख.न. 830 रकबा 0.61 हैक्ट., ख.न. 807 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.न. 806 रकबा 0.12 हैक्ट., ख.न. 828 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.न. 824/1 रकबा 0.05 हैक्ट., ख.न. 832/1 रकबा 0.01 हैक्ट. कुल कित्ता 6 का कुल रकबा 0.88 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शों में सफेद रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. गोपाल पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 राहिन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू रामेश्वर पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 हनुमान पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा गल्कू पत्नी सुन्दरराम हि. 259/3729 हरिनारायण पुत्र सुन्दरराम हि. 259/3729 जीवणराम पुत्र सुन्दरराम हि. 259/3729 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा चौमू बल्लूराम पुत्र लादू हि. 259/2486 मोहन पुत्र गणेश हि. 259/4972 श्योनारायण पुत्र भैरू हि. 259/1243 सूरजमल पुत्र गणेश हि. 259/4972 राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा देवाराम पुत्र गणेश हि. 259/4972 पांचू पुत्र गणेश हि. 259/4972 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू काना पुत्र लादू हि. 259/2486 कमलेश पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 जाति अहीर सा.

देह खातेदार को ख.नं. 803/2 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.नं. 804 रकबा 0.86 हैक्ट., ख.नं. 805/1 रकबा 0.45 हैक्ट., ख.नं. 805/3 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.नं. 808 रकबा 0.70 हैक्ट., ख.नं. 809 रकबा 0.93 हैक्ट., ख.नं. 810 रकबा 0.94 हैक्ट., ख.नं. 816 रकबा 0.94 हैक्ट., ख.नं. 817 रकबा 0.89 हैक्ट., ख.नं. 818 रकबा 0.89 हैक्ट., ख.नं. 819 रकबा 0.89 हैक्ट., ख.नं. 820 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.नं. 821 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 822/1 रकबा 0.50 हैक्ट., ख.नं. 824/2 रकबा 0.93 हैक्ट., ख.नं. 825 रकबा 0.60 हैक्ट., ख.नं. 826/1 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 827 रकबा 0.34 हैक्ट., ख.नं. 829 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.नं. 831 रकबा 0.90 हैक्ट., ख.नं. 832/2 रकबा 0.86 हैक्ट., कुल किता 21 का कुल रकबा 12.43 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।



हिम्मत सिंह

आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी

एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

अन्तिम डिग्री मुकदमा इत्यादाई
(ओं 20 रुब्स 6 व 7 जादा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चोमू व
अजलारा हिम्मत सिंह आरएएस

प्रभात सादव पुत्र स्व० श्री रुगनाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तह.
चोमू, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व. श्री रुगनाथ
2. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री रुगनाथ
3. हनुमान पुत्र स्व. श्री रुगनाथ
4. कमलेश पुत्र स्व. श्री रुगनाथ
5. गलकू देवी बेवा सुन्दर
6. हरिनारायण पुत्र सुन्दर
7. जीवणराम पुत्र सुन्दर
8. कानाराम पुत्र लादू
9. बल्लूराम पुत्र लादू
10. सुरजमल पुत्र गणेश
11. देवाराम पुत्र गणेश
12. पांचूराम पुत्र गणेश
13. मोहन लाल पुत्र गणेश
14. श्योनारायण पुत्र भैरूराम
जाति समस्त अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तह. चोमू, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
16. उप पंजियक चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
17. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) ज.वि.
वि.नि.लि. गोविन्दगढ, तह. चोमू, जिला जयपुर।
18. एस.वी.वी.जे.बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तह. चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 142/2013

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु उभयपक्षकार हाजरी
मिनजामिन मुददई रुबरु हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम
दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. प्रभात पुत्र रुगनाथ जाति अहीर राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा कालाडेरा
को ख.न. 805/2 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.न. 822/2 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.न. 826/2
रकबा 0.16 हैक्ट., कुल किता 3 का कुल रकबा 0.52 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में
पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. कमलेश पुत्र रुगनाथ हि. 1/25 काना पु. लादू हि. 1/10 बिला रहन गलकू पत्नी
सुन्दरराम हि. 1/15 जीवणराम पु. सुन्दरराम हि. 1/15 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ
कामर्स शाखा चोमू गोपाल पुत्र रुगनाथ हि. 1/25 राहिन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा चोमू देवाराम पुत्र गणेश हि. 1/20 पांचूराम पुत्र गणेश हि. 1/20 राहिन स्टेट
बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चोमू प्रभात पुत्र रुगनाथ हि. 1/25 राहिन ओरियन्टल बैंक
ऑफ कामर्स शाखा कालाडेरा बल्लूराम पुत्र लादू हि. 1/10 मोहन पुत्र गणेश हि.

1/20 श्योनारायण पुत्र भैरु हि. 1/5 सूरजमल पुत्र गणेश हि. 1/20 राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा रामेश्वर पुत्र रूगनाथ हि. 1/25 हनुमान पुत्र रूगनाथ हि. 1/25 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा जाति अहीर सा. देह खातेदार ख.न. 830 रकबा 0.61 हैक्ट., ख.न. 807 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.न. 806 रकबा 0.12 हैक्ट., ख.न. 828 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.न. 824/1 रकबा 0.05 हैक्ट., ख.न. 832/1 रकबा 0.01 हैक्ट. कुल किता 6 का कुल रकबा 0.88 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे मे सफेद रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

3. गोपाल पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चोमू रामेश्वर पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 हनुमान पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा गल्कू पत्नी सुन्दरराम हि. 259/3729 हरिनारायण पुत्र सुन्दरराम हि. 259/3729 जीवणराम पुत्र सुन्दरराम हि. 259/3729 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा चोमू बल्लूराम पुत्र लादू हि. 259/2486 मोहन पुत्र गणेश हि. 259/4972 श्योनारायण पुत्र भैरु हि. 259/1243 सुरजमल पुत्र गणेश हि. 259/4972 राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा देवाराम पुत्र गणेश हि. 259/4972 पांचू पुत्र गणेश हि. 259/4972 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चोमू काना पुत्र लादू हि. 259/2486 कमलेश पुत्र रूगनाथ हि. 207/4972 जाति अहीर सा. देह खातेदार को ख.नं. 803/2 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.नं. 804 रकबा 0.86 हैक्ट., ख.नं. 805/1 रकबा 0.45 हैक्ट., ख.नं. 805/3 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.नं. 808 रकबा 0.70 हैक्ट., ख.नं. 809 रकबा 0.93 हैक्ट., ख.नं. 810 रकबा 0.94 हैक्ट., ख.नं. 816 रकबा 0.94 हैक्ट., ख.नं. 817 रकबा 0.89 हैक्ट., ख.नं. 818 रकबा 0.89 हैक्ट., ख.नं. 819 रकबा 0.89 हैक्ट., ख.नं. 820 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.नं. 821 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 822/1 रकबा 0.50 हैक्ट., ख.नं. 824/2 रकबा 0.93 हैक्ट., ख.नं. 825 रकबा 0.60 हैक्ट., ख.नं. 826/1 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 827 रकबा 0.34 हैक्ट., ख.नं. 829 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.नं. 831 रकबा 0.90 हैक्ट., ख.नं. 832/2 रकबा 0.86 हैक्ट., कुल किता 21 का कुल रकबा 12.43 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 14.10.2019 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत

ओहदा.....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

